"संसदीय लोकतंत्र में सिद्धांत और पद्धतियां तथा सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन" विषय पर 04 जुलाई, 2015 को रांची में झारखंड विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित कार्यशाला में माननीय अध्यक्ष *का* उद्घाटन भाषण

---

1. यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे झारखण्ड विधान सभा के सदस्यों के लिए आयोजित कार्यशाला में आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं, सर्वप्रथम, माननीय अध्यक्ष, श्री दिनेश ओरांव की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यशाला के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया।

2. झारखंड प्रदेश की खूबसूरत राजधानी रांची में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है। अपनी प्राकृतिक हरियाली के साथ-साथ खनिज संसाधनों से युक्त यह प्रदेश पूरे राष्ट्र का गौरव है एवं दूसरे प्रदेशों के लोगों खासकर उद्यमियों के लिए आकर्षण का केन्द्र भी। झारखण्ड प्रदेश ने तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी जैसे खेलकूद से लेकर विकासात्मक कार्य जैसे ऊर्जा उत्पादन एवं खनिज संबंधी उद्योगों के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

3. वास्तव में, झारखंड राज्य में अपार क्षमताएं हैं तथा इसकी सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है। प्राकृतिक संसाधनों, धातुओं और खनिज पदार्थों, वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं की विविधता एवं बाहुल्यता झारखण्ड को एक विशेष स्थान देती है। इतिहास गवाह है कि भारत देश के इस भूमिखण्ड ने भारत की आजादी एवं इस भूमि के लिए निरंतर संघर्ष किया है। बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में संघर्ष को देशवासी हमेशा स्मरण रखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा एवं विकास एवं उत्थान के लिए उनका उपयोग इस इलाके एवं यहां के लोगों की पहचान रही है।

4. मैं विधान सभा के लिए निर्वाचित होने पर आप सबको बधाई देती हूँ। यह जनादेश लोगों के इस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि आप उनके विकास और प्रगति के लिए उनकी आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे।

5. हालांकि झारखण्ड राज्य का गठन बिहार से अलग होने के बाद एक पृथक राज्य के रूप में हुआ है, किन्तु कई मायनों में यह एक नया राज्य ही है। आप सब राज्य के पुनर्गठन से उत्पन्न चुनौतियों और अवसरों से भली-भांति परिचित होंगे।

6. तथापि, इन चुनौतियों में भी असीम संभावनाएं निहित हैं। यह राज्य के लिए अपनी क्षमताओं का फिर से आकलन करने और तदनुसार अपने विकास की योजना बनाने का अवसर है। जहाँ तक प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों तथा कुशल और अकुशल मानव संसाधनों से सम्पन्न झारखण्ड जैसे राज्य की बात है, मुझे विश्वास है कि यह राज्य उभरते वैश्विक माडलों, प्रौद्योगिकियों, प्रबंध तकनीकों का पूर्ण उपयोग करते हुए शीघ्र ही नया बुनियादी ढांचा और प्रणालियां विकसित करने में सफल होगा। लोगों की अपेक्षाओं को देखते हुए, सरकार, विधायिका और अन्य एजेंसियों सहित समूचे राज्य को संसाधन जुटाने, बुनियादी सुविधाएं विकसित करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए तेजी से काम करना होगा। राज्य को परिवहन प्रणालियों, बुनियादी संचार और सूचना सुविधाओं के विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए नए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना, औद्योगिक विकास आदि को प्राथमिकता देनी होगी ताकि झारखण्ड विकास और समृद्धि का नया मॉडल बन सके।

7. माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि आप सब अपने वर्तमान दायित्वों के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध हैं और लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के

सभी संभव प्रयास करेंगे। इस समय आप केवल विधायक नहीं बल्कि ऐसे जन-प्रतिनिधि हैं जिन्हें आगे बढ़कर लोगों का नेतृत्व करना होगा ताकि राज्य के लोगों को लाभ हो और वे सम्पन्नता और खुशहाली की नई ऊंचाईयां छू सकें।

8. इस नई सभा में कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं । मुझे बताया गया है कि चौथी झारखण्ड विधान सभा के लिए कुल 82 सदस्यों में से 34 सदस्य पहली बार निर्वाचित हुए हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप सभी को विधायी प्रक्रिया संबंधी जानकारी में वृद्धि करने और आपसी अनुभव साझा करने का अवसर प्रदान करना है ताकि आप जन-प्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका अधिक प्रभावी रूप से निभा सकें।

9. माननीय सदस्यगण, दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान आपको एक विधायक की भूमिका, संसदीय लोकतंत्र के आदर्शों और हमारी संसदीय संस्थाओं के विभिन्न आयामों के बारे में समुचित जानकारी दी जाएगी । अपने-अपने क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले अनेक गण्यमान्य व्यक्ति कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। मैं केवल इस बारे में अपने विचार रखूंगी कि ऐसी कार्यशाला के प्रयोजन के परिप्रेक्ष्य में एक जन-प्रतिनिधि के रूप में हमसे क्या अपेक्षा की जाती है।

10. मैं इस बात पर बल देना चाहती हूं कि जनता की सेवा के लिए एक जन-प्रतिनिधि के रूप में चुना जाना बहुत ही सौभाग्य और गौरव तथा जिम्मेदारी की बात है। संसदीय लोकतंत्र में एक निर्वाचित प्रतिनिधि को दोहरी भूमिका निभानी होती है अर्थात् उसे एक ओर जनता, जिसने उसे चुना है, और विधानमंडल, जिसका वह एक सदस्य है, के बीच तथा दूसरी ओर जनता तथा सरकार के बीच एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी होती है। वह हमारी भूमिका का 'संस्थागत' पहलू है। इसके अतिरिक्त हम सभी यह जानते हैं कि जन-प्रतिनिधियों के रूप में, जिन पर जनता की आशा भरी निगाहें सदैव टिकी रहती हैं, हमारी विविध भूमिकाएं हैंः जन प्रतिनिधि

के रूप में, सभा में विधायक के रूप में, दल के कार्यकर्ता के रूप में और समाज में एक नेता के रूप में हमारी अलग-अलग भूमिका होती है।

11. आज हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक परिवेश मे तेजी से आ रहे बदलाव के कारण हमारे तथा सभा के समक्ष अक्सर बहुत सी चुनौतियां आ जाती हैं। प्रातिनिधिक संस्थाओं और उनके सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे इन चुनौतियों की बारीकियों को समझ कर समाज के समक्ष आ रही समस्याओं का उचित समाधान करेंगे। ये समाधान हमें संसदीय संस्थाओं के मानदंडों के भीतर ही खोजने होंगे जिसमें आवश्यक कानून बनाने के साथ-साथ उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना भी शामिल है। समय-समय पर हमें पार्टी कार्यकर्त्ता के रूप में या विधायक के रूप में और कभी-कभी मिलजुल कर यह भूमिका निभानी पड़ती है। अतः, प्रश्नों और मामलों के संबंध में निर्णय लेते समय हमारा दृष्टिकोण समाज के सबसे कमजोर वर्गों के विकास से प्रेरित होना चाहिए क्योंकि उनके विकास से ही समाज का विकास संभव है।

12. विधायकों का कार्य मुख्य रूप से केवल शासन करना नहीं है बल्कि कानून बनाना, बजट और व्यय की जांच करना तथा कार्यपालिका के कार्यों और उसकी निष्क्रियता पर नजर रखना भी है। जन प्रतिनिधियों के रूप में हमारा यह प्रमुख दायित्व है कि हम यह सुनिश्चित करें कि सरकार की नीतियां जनता की सच्ची आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति जवाबदेह हों। जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व हमें बहुत सशक्त बनाता है क्योंकि हम यह जानते हैं कि हमें जनता का समर्थन प्राप्त है। एक प्रभावशाली विधायक लोगों की समस्याओं और मुद्दों को सभा में मुखरित करके और उनकी शिकायतों के समाधान के लिए आवाज उठाकर प्रत्येक अवसर का लाभ उठा सकता है।

13. विधायक के रूप में हम यह देखते है कि कभी-कभी व्यापक राष्ट्रीय या सामाजिक हित के साथ स्थानीय हित का टकराव हो सकता है। हमें अक्सर संतुलन बनाये रखने के लिए कहा जाता है। एक विधायक जो राष्ट्र और समाज के मामलों में स्वयं को सक्रिय रूप से सम्मिलित रखता है, अपने मतदाताओं के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने और स्थानीय या पक्षपात की भावना से ऊपर उठकर एक प्रभावशाली विधायक के रूप में अपनी भूमिका को और अधिक प्रभावी ढंग से निभाने की बेहतर स्थिति में होता है। हम सभी को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि विधायी कानून अल्पकालिक हितों की रक्षा के लिए नहीं होते हैं बल्कि ये हमारे समाज के विकास के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करते हैं। एक कर्तव्यनिष्ठ विधायक अपने निर्वाचकों को यह बात समझाने के लिए सभी अवसरों का उपयोग करता है कि उन्हें उन संकीर्ण एवं स्थानीय हितों पर पुनर्विचार करना होगा जो व्यापक सामाजिक लक्ष्य के साथ टकराते हैं।

14. जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, संसदीय लोकतंत्र की सफलता स्वस्थ और सुव्यवस्थित वाद-विवाद में निहित होती है और इस प्रयोजनार्थ नियमों, परिपाटियों, प्रक्रियात्मक साधनों आदि की एक व्यापक प्रणाली विकसित की गई है। इसकी मुख्य बातें हैं - मर्यादा बनाये रखना और अध्यक्षपीठ तथा साथी विधायकों का सम्मान करना। सभा के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का संरक्षक होने के नाते अध्यक्षपीठ का निरादर करना संपूर्ण सभा का निरादर करने के समान है। हमारा समग्र लक्ष्य वाद-विवाद और उसके परिणामस्वरूप बनने वाले विधानों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा आम आदमी के मन में विधायी संस्थाओं की अच्छी छवि बनाना होना चाहिए न कि अनावश्यक हस्तक्षेप करना।

15. इन सभी कार्यों में सभा के विभिन्न नियमों, परिपाटियों और प्रक्रियाओं, संसदीय परम्पराओं, प्रश्नकाल तथा संकल्पों आदि सहित विभिन्न उपायों की जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है। मैं एक अन्य पहलू पर विशेष बल देते हुए

सदस्यों को यह सुझाव देना चाहती हूं कि वे अधिकाधिक विषयों की जानकारी रखें, परन्तु अपनी रुचि के कुछ विषयों की विशेष जानकारी रखें। यह ज्ञान उनके द्वारा किए गए हस्तक्षेपों, वाद-विवादों में उनकी भागीदारी और विशेष रूप से समिति के कार्यों में उनके योगदानों में अवश्य परिलक्षित होगा। इससे यह अवश्य पता चलेगा कि विधायक अपनी भूमिका के प्रति न्याय करने में कितना समय और श्रम लगाता है।

16. सरकारी खजाने पर विधायिका का नियंत्रण, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे हमारे संविधान द्वारा कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। कराधान पर विधायिका के विशेषाधिकार तथा सरकारी खर्चों पर उसके नियंत्रण संबंधी संवैधानिक उपबंध, विधायकों को सरकारी धन का सामूहिक संरक्षक बनाते हैं तथा सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में उन्हें प्रभावी अधिकार प्रदान करते हैं।

17. आप सब जानते हैं कि संसाधन जुटाने के लिए कार्यपालिका को विधायिका की सहमति प्राप्त करनी आवश्यक है। वस्तुतः, संसदीय लोकतंत्र में सरकारी खजाने पर विधायिका का नियंत्रण, सार्वजनिक वित्त के प्रशासन का केन्द्र-बिंदु है। इसलिए, विधायिका का यह कर्त्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक व्यय; स्वीकृत अनुदानों की सीमा में रहे और सरकार के वित्तीय कार्यकलाप स्वीकृत नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप ही रहें। ऐसी स्थिति में एक विधायक के रूप में आप सबसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप सतर्क रहें और सरकार के वित्तीय कार्यकलापों के ऊपर लगातार निगरानी रखने के लिए विभिन्न संसदीय माध्यमों का उपयोग करें। इस संबंध में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको पूरी बजट प्रक्रिया तथा सरकार के विभिन्न विभागों के वित्तीय प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होगी तथा सार्वजनिक वित्त से जुड़े विभिन्न लोक मुद्दों की जानकारी भी रखनी होगी।

18. सार्वजनिक वित्त पर अपना संपूर्ण नियंत्रण रखने के लिए विधायकों को विधायिका द्वारा प्रस्तुत बजट एवं अन्य वित्तीय कार्यों के विषय में हो रही चर्चा और वाद-विवाद में रूचि लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया के माध्यम से ही विधायक विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और विकास लक्ष्यों, तथा सरकार के कराधान के प्रस्तावों को अनुमोदित करते हैं। कार्यपालिका भी बजट प्रक्रिया में विधायिका को सहयोग प्रदान करती है।

19.. विधानमंडल की वित्तीय मामलों से संबंधित समितियों से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारियां विधायकों द्वारा सार्वजनिक वित्त की निगरानी किए जाने के मुख्य विशेषाधिकार के उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है। वस्तुतः, वित्तीय मामलों में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु निगरानी करने की दृष्टि से इन समितियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इन समितियों के सदस्यों का यह दायित्त्व हो जाता है कि वे पूर्ण निष्ठा एवं एकाग्रता से इन समितियों की रिपोर्ट पर काम करे।

21. राज्य लेखापरीक्षा तंत्र के सही ढंग से काम करने से विधानमंडल द्वारा वित्तीय निगरानी का कार्य अत्यन्त सुविधाजनक हो जाता है। वस्तुतः, लेखापरीक्षा रिपोर्ट कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न लेखापरीक्षा समूह यह सुनिश्चित करने के लिए सरकारी लेखाओं की निगरानी करते हैं कि बजट प्रस्तावों को विधानमंडल द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों हेतु तथा उसी ढंग से कार्यान्वित किया गया है। ये लेखापरीक्षा रिपोर्टें, जिन्हें विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, सरकार के वित्तीय लाभ और उसके कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालती हैं तथा कार्यपालिका के विभागों द्वारा किए गए भूल-चूक के अनेक मामलों को विधानमंडल की जानकारी में भी लाती हैं, इस प्रकार ये वित्तीय मामलों में सरकार को जवाबदेह बनाते हुए विधानमंडल के समग्र प्रयासों में योगदान देते हैं।

22. मुझे विश्वास है कि आप सब विधायकगण इस बहुत ही प्रासंगिक व महत्वपूर्ण कार्यशाला में निष्ठावान विद्यार्थी बनकर अपने विभिन्न कर्त्तव्यों, विशेषकर सरकारी धन के वित्तीय पर्यवेक्षक होने के कर्त्तव्य को पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ निभाएंगे।

23. अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं आप सबको झारखण्ड विधान सभा का सदस्य निर्वाचित होने पर एक बार पुनः बधाई देती हूं। आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

धन्यवाद।